



Neutral Citation No. – 2026:AHC:1262

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 5325 वर्ष 2025

नंदन और 7 अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील : अनुराद्ध चतुर्वेदी, मनीष कुमार पांडे

प्रतिवादी के वकील : सीएससी, दीपक गौड़, मोनू मिश्रा, उमैर महमूद

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराद्ध चतुर्वेदी, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, प्रतिवादी संख्या 5 और 8 के विद्वान अधिवक्ता श्री मोनू मिश्रा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार दुबे और भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक गौर की दलीलें सुनीं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"1. प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुनरीक्षण संख्या 2480/2025 में दिनांक 29.09.2025 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी करें।"

II. प्रतिवादियों को यह निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान विवादित भूमि पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम (जिसे आगे उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम कहा गया है) की धारा 333 के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका पर विचार किया गया और अंतरिम आदेश जारी कर रोक लगा दी गई। दिनांक 22.05.2025 के आदेश के संचालन और पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने के संबंध में उन्होंने निवेदन किया कि उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादी संख्या 5 और 8 की ओर से स्थगन निरस्तीकरण आवेदन तथा प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्युत्तर हलफनामा भी दाखिल किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पुनरीक्षण याचिका की अंतिम तिथि 19.09.2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन राजस्व बोर्ड ने लंबित पुनरीक्षण याचिका में पारित अंतरिम आदेश को निरस्त करते हुए 29.09.2025 को मनमाने ढंग से विवादित आदेश पारित कर दिया।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 5 और 8 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका में स्थगन हटाने का आवेदन दायर किया गया था और प्रतिवादी संख्या 5 और 8 के विद्वान वकील को प्रत्युत्तर हलफनामे की प्रति नहीं दी गई थी। उन्होंने निवेदन किया कि चुनौती दिए गए आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और लंबित पुनरीक्षण याचिका का समयबद्ध निपटान करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

6. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से निजी प्रतिवादियों के पट्टे की पुष्टि करने वाले आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी और राजस्व बोर्ड ने पुनरीक्षण में प्रारंभ में अंतरिम आदेश दिया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि विवादित आदेश के तहत लंबित पुनरीक्षण में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिया गया अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया है और पुनरीक्षण के निपटारे के लिए 17.12.2025 की तिथि निर्धारित की गई थी।

7. इस मामले में निहित विवाद को समझने के लिए लंबित पुनरीक्षण याचिका में दिनांक 5.6.2025 को पारित अंतरिम आदेश का अवलोकन प्रासंगिक होगा।

8. रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 104 पर संलग्न लंबित पुनरीक्षण के आदेश पत्र का अवलोकन भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:-

आडरविचारधारा का परिवर्तन

क्र०	छली सुनवाई	अगला सुनवाई	अगला सुनवाई	अगला सुनवाई
9. उपर्युक्त सन्	उद्धृत कंबित पुनरीक्षण के आदेश पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट			िनयत
10.				कायवाही
1	----	----	05/06/2025	वास्तव में
2	05/06/2025	वास्तव में	29/08/2025	प्रारंभिक सुनवाई
3	29/08/2025	प्रारंभिक सुनवाई	15/09/2025	प्रारंभिक सुनवाई
4	15/09/2025	प्रारंभिक सुनवाई	19/09/2025	विविध
5	19/09/2025	विविध	12/11/2025	विविध
6	12/11/2025	विविध	14/11/2025	प्रारंभिक सुनवाई

इस न्यायालय ने अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कलेक्टर, बिजनौर और अन्य, 2007 (102) आरडी 498 के मामले में यह माना है कि यदि अपील या पुनरीक्षण के तहत आदेश के गंभीर परिणाम हैं, तो अपील/पुनरीक्षण लंबित रहने तक आदेश का संचालन निलंबित किया जाना चाहिए। अली शेर (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ संख्या 4 और 5 प्रासंगिक होंगे, जो इस प्रकार हैं:

"4. यह सर्वविदित है कि एक बार जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी परिणामों वाले आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण पर विचार किया जाता है, तो सामान्यतः स्थगन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि स्थिति में अनिश्चितता बनी रहे, जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह न पाए कि स्थगन प्रदान करने का कोई मामला नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल चंद बनाम रजा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज के मामले में कहा है।"

5. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 16.11.2006 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की अपील का निपटारा विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करे, और अपील के निपटारे तक, विवादित भूमि की प्रकृति और कब्जे के संबंध में पक्षकार यथास्थिति बनाए रखें।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 29.9.2025 को पारित विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और इसे निरस्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 - राजस्व बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका का शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, निर्णय ले। यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक, ललितपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) द्वारा दिनांक 22.05.2025 को पारित विवादित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा और संबंधित पक्ष विवादित भूखंड की प्रकृति और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।

6 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)